मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिव्यू

खण्ड XIX अंक 3 जून 2023

एमसीआईआर

विषयवस्तु

खंड	पृष्ठ
I. मौद्रिक नीति	1-3
II. उप गवर्नर की नियुक्ति	2
III. विनियमन	3-4
IV. उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो	3
V. भुगतान और निपटान प्रणाली	4
VI. विदेशी मुद्रा प्रबंधन	4
VII. वित्तीय बाजार	4
VIII. वित्तीय समावेशन और विकास	4
IX. सांख्यिकी और सूचना	4
X. प्रकाशन	4
XI. जारी आंकड़े	4

संपादक की कलम से

मोनेटरी एवं क्रेडिट इंफर्मेशन रिव्यू (एमसीआईआर) के एक और संस्करण में आपका स्वागत है। रिज़र्व बैंक की यह मासिक आवधिक पत्रिका धन और ऋण की दुनिया में रिज़र्व बैंक द्वारा जून 2023 माह के दौरान किए गए नए विकास और महत्वपूर्ण नीतिगत पहलुओं के साथ जुड़े रहने में आपकी मदद करती है। एमसीआईआर को https://mcir.rbi.org.in पर और साथ ही क्यूआर कोड को स्कैन करके देखा जा सकता है।

संवाद के इस माध्यम से सूचनाएं साझा करने, शिक्षित करने और आप सबसे जुड़े रहने के साथ हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना भी है कि प्रसारित की जा रही सूचनाओं में तथ्यात्मक सटीकता एवं संगति रहे

हम आपकी प्रतिक्रिया का mcir@rbi.org.in पर स्वागत करते हैं।

योगेश दयाल
संपादक

I. मौद्रिक नीति

8 जून 2023 को गवर्नर का मौद्रिक नीति वक्तव्य

यह मौद्रिक नीति वक्तव्य देते हुए, हम इस तथ्य पर संतोष कर सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र, अभूतपूर्व विपरीत परिस्थितियों और तीव्र प्रतिकूल धाराओं के विश्व में मजबूत और आघात-सह हैं। पिछले तीन अशांत वर्षों के विपरीत, क्षितिज पर अनिश्चितता तुलनात्मक रूप से कम दिखाई दे रही है और आगे का रास्ता कुछ हद तक साफ है; लेकिन हमें इस बात से पूरी तरह से अवगत होना होगा कि भू-राजनीतिक संघर्ष निरंतर जारी है और विश्व स्तर पर नीति सामान्यीकरण अभी भी पूर्णतया दूर है। सभी देशों में हेडलाइन मुद्रास्फीति अधोगामी है, लेकिन अभी भी उच्च और लक्ष्य से ऊपर है। श्रम बाजार सख्त हैं, और मांग, वस्तुओं से सेवाओं की ओर वापस आ रही है। अतः, विश्व भर के केंद्रीय बैंक हाई अलर्ट पर हैं और बदलती परिस्थितियों पर नजर रख रहे हैं, भले ही उनमें से कई ने अपनी दरों में वृद्धि को कम कर दिया हो या विराम ले लिया हो। उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता की चिंताएँ बनी हुई हैं, तथापि ऐसा प्रतीत होता है कि दृढ़ कार्रवाइयों के कारण वे नियंत्रित हो गई हैं। भू-राजनीतिक कारणों और आर्थिक विखंडन के कारण व्यापार, प्रौद्योगिकी और पूंजी प्रवाह में कमी ने स्थिति को और अधिक जटिल बना दिया है।

2. इस चुनौतीपूर्ण समय में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के सभी उत्पादक क्षेत्रों के लिए वित्तीय संसाधनों का पर्याप्त प्रवाह सुनिश्चित करते हुए मूल्य और वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने पर ध्यान देना जारी रखा है। परिणामस्वरूप, घरेलू समष्टि-आर्थिक मूल तत्व मजबूत हो रहे हैं - आर्थिक गतिविधि आघात-सह है; मुद्रास्फीति में कमी आई है; चालू खाता घाटा कम हुआ है; और विदेशी मुद्रा आरक्षित निधि पर्याप्त है। राजकोषीय मजबूती भी जारी है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली स्थिर और आघात-सह बनी हुई है, ऋण वृद्धि मजबूत है और घरेलू वित्तीय बाजार व्यवस्थित तरीके से विकसित हुए हैं।

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) के निर्णय और विचार-विमर्श

3. मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक 6 से 8 जून 2023 को हुई। समष्टि-आर्थिक स्थिति और संभावना के मूल्यांकन के आधार पर, एमपीसी ने सर्वसम्मति से नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। परिणामस्वरूप, स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत और सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर बनी हुई है। एमपीसी ने 6 में से 5 सदस्यों के बहुमत से निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो।

4. अब मैं नीतिगत दर और रुख पर इन निर्णयों के लिए एमपीसी के तर्क के बारे में बताना चाहूंगा। एमपीसी का मानना है कि उच्च मुद्रास्फीति, सख्त वित्तीय स्थितियों और भू-राजनीतिक तनावों के कारण वर्ष 2023 में वैश्विक आर्थिक गतिविधि की गति धीमी होने की आशा है। मौद्रिक सख्ती की गति हाल के महीनों में धीमी हो गई है, लेकिन इसके भविष्य के पथ पर अनिश्चितता बनी हुई है क्योंकि विश्व भर में मुद्रास्फीति लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।

5. भारत में, उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति में मार्च-अप्रैल 2023 के दौरान गिरावट आई और 2022-23 में 6.7 प्रतिशत से कम होकर सहन स्तर में आ गई। तथापि, नवीनतम आंकड़ों के अनुसार हेडलाइन मुद्रास्फीति अभी भी लक्ष्य से ऊपर है और 2023-24 के हमारे अनुमानों के अनुसार इसके लक्ष्य से ऊपर बने रहने की आशा है। अतः, उभरती मुद्रास्फीति संभावना पर कड़ी और निरंतर निगरानी नितांत आवश्यक है, विशेष रूप से मानसून की संभावना और अल नीनो का प्रभाव अनिश्चित बना हुआ है। दूसरी ओर, 2022-23 में वास्तविक जीडीपी संवृद्धि अनुमान से अधिक मजबूत रही और मजबूत बनी हुई है।

6. मई 2022 से नीतिगत रेपो दर में 250 आधार अंकों की वृद्धि की गई है और यह अभी भी प्रणाली के माध्यम से काम कर रहा है। इसका व्यापक प्रभाव आने वाले महीनों में दिखाई देगा। इस पृष्ठभूमि के सापेक्ष, एमपीसी ने नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखने का निर्णय लिया। एमपीसी उभरती मुद्रास्फीति और संवृद्धि की संभावना पर सतर्क रहना जारी रखेगी। मुद्रास्फीति की प्रत्याशाओं को मजबूती से स्थिर रखने और मुद्रास्फीति को लक्ष्य तक कम करने के लिए यह यथासमय और उचित रूप से आगे की मौद्रिक कार्रवाई करेगी।

7. 6.50 प्रतिशत पर नीतिगत रेपो दर और वर्ष 2023-24 के लिए पूरे वर्ष की अनुमानित मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से थोड़ा अधिक होने के साथ, वास्तविक नीतिगत दर सकारात्मक बनी हुई है। तथापि, औसत प्रणाली चलनिधि अभी भी अधिशेष है और ₹2,000 के नोट बैंकों में जमा होने के कारण बढ़ सकती है। हेडलाइन मुद्रास्फीति, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कम हो रही है, लेकिन लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है, जिस कारण उभरती मूल्य गतिशीलता की कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति संवृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उत्तरोत्तर लक्ष्य के साथ संरेखित हो। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

श्री स्वामीनाथन जे को रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया

श्री स्वामीनाथन जे ने 26 जून 2023 को भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला। भारत सरकार ने 21 जून 2023 को उन्हें पद ग्रहण की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर के पद पर नियुक्त किया है। श्री स्वामीनाथन उप गवर्नर के रूप में नियुक्त होने से पहले भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के प्रबंध निदेशक (कॉर्पोरेट बैंकिंग और अनुषंगी) थे।

मौद्रिक नीति समिति का संकल्प

वर्तमान और उभरती समष्टि-आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 8 जून 2023 अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि:

चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा जाए। स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर 6.25 प्रतिशत तथा सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 6.75 प्रतिशत पर अपरिवर्तित बनी हुई है।

एमपीसी ने निभाव को वापस लेने पर ध्यान केंद्रित रखने का भी निर्णय लिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुद्रास्फीति उतरोत्तर संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए लक्ष्य के साथ संरेखित हो। ये निर्णय, संवृद्धि को समर्थन प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) मुद्रास्फीति को +/- 2 प्रतिशत के दायरे में रखते हुए 4 प्रतिशत का मध्यावधि लक्ष्य हासिल करने के अनुरूप है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

विकासात्मक और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

यह वक्तव्य (i) वित्तीय बाजारों; (ii) विनियमन; और (iii) भुगतान प्रणालियों से संबंधित विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीतिगत उपायों को निर्धारित करता है।

i) वित्तीय बाजार

1. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा मांग और सूचना मुद्रा बाज़ार में उधार लेना

मांग, सूचना और मीयादी मुद्रा बाजारों पर मौजूदा दिशानिर्देश, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए मांग और सूचना मुद्रा बाजारों में बकाया उधारी के लिए विवेकपूर्ण सीमाएं निर्धारित करते हैं। मुद्रा बाजार उधारों के प्रबंधन के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (लघु वित्त बैंकों को छोड़कर) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकपूर्ण सीमाओं के भीतर मांग और सूचना मुद्रा बाज़ार में उधार लेने की अपनी सीमा निर्धारित कर सकते हैं। आवश्यक दिशा-निर्देश आज जारी किए जा रहे हैं।

ii) विनियमन

2. दबावग्रस्त आस्तियों के लिए विवेकपूर्ण ढांचे के दायरे का विस्तार

दिनांक 7 जून 2019 का दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा एक व्यापक सिद्धांत-आधारित ढांचा प्रदान करता है। इसे और गति प्रदान करने के साथ-साथ सभी विनियमित संस्थाओं हेतु निर्देशों को सुसंगत बनाने के लिए, यह प्रस्तावित है कि (i) सभी विनियमित संस्थाओं को शामिल करते हुए समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक विनियामक ढांचा जारी किया जाए; और (ii) कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किए गए संकल्प ढांचे से सबक लेते हुए प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित एक्सपोज़र के संबंध में समाधान योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए मौजूदा विवेकपूर्ण मानदंडों को युक्तिसंगत बनाया जाए। उपरोक्त पर विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

3. डिजिटल उधार में चूक हानि गारंटी (डिफॉल्ट लॉस गारंटी) व्यवस्था

डिजिटल उधार पर कार्य दल की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर दिनांक 10 अगस्त 2022 की प्रेस प्रकाशनी जारी करते हुए यह सूचित किया गया था कि प्रथम चूक हानि गारंटी (एफएलडीजी) से संबंधित सिफारिश की भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जांच की जा रही है। विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के आधार पर, तथा नवोन्मेष और विवेकपूर्ण जोखिम प्रबंधन के बीच संतुलन बनाए रखने के हमारे उद्देश्य के अनुरूप, यह निर्णय लिया गया है कि डिजिटल उधार में चूक हानि गारंटी व्यवस्था की अनुमति देने के लिए एक विनियामक ढांचा तैयार किया जाए। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

4. प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों (यूसीबी) के लिए प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के लक्ष्य

यूसीबी के लिए पीएसएल लक्ष्यों को 2020 में संशोधित किया गया था। एक गैर-विघटनकारी परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए, संशोधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 31 मार्च 2024 तक एक ग्लाइड पथ प्रदान किया गया था। यूसीबी के समक्ष आने वाली कार्यान्वयन संबंधी चुनौतियों को कम करने की दृष्टि से, यह निर्णय लिया गया है कि उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए चरणबद्ध समय को दो वर्ष, अर्थात 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया जाए। इसके अलावा, 31 मार्च 2023 तक लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी को उचित प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत परिपत्र अलग से जारी किया जाएगा।

5. विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा), 1999 के अंतर्गत प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए लाइसेंसिंग ढांचे का युक्तिकरण

फेमा, 1999 के अंतर्गत जारी प्राधिकृत व्यक्तियों (एपी) के लिए लाइसेंसिंग ढांचे की पिछली समीक्षा मार्च 2006 में की गई थी। पिछले दो दशकों में फेमा के अंतर्गत प्रगतिशील उदारीकरण, वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ता एकीकरण, भुगतान प्रणालियों का डिजिटलीकरण, संस्थागत संरचना विकसित करना, आदि को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि तेजी से बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था की उभरती आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए एपी के लिए लाइसेंसिंग ढांचे को युक्तिसंगत और सरल बनाया जाए। इसका उद्देश्य उचित सुरक्षा उपायों को बनाए रखते हुए आम लोगों, पर्यटकों और व्यवसायों को विदेशी मुद्रा सुविधाओं के वितरण में परिचालन दक्षता हासिल करना है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए संशोधित प्राधिकरण ढांचे का एक मसौदा जारी किया जाएगा।

iii) भुगतान प्रणाली

6. ई-रुपी वाउचर के दायरे और पहुंच का विस्तार करना

अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया डिजिटल वाउचर ई-रूपी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) सिस्टम पर चलता है। वर्तमान में, बैंकों द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से एवं कुछ हद तक कॉर्पोरेट्स की ओर से उद्देश्य-विशिष्ट वाउचर जारी किए जाते हैं। उपयोगकर्ताओं और लाभार्थियों के लिए समान रूप से लाभ को ध्यान में रखते हुए, (ए) गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान लिखतों (पीपीआई) जारीकर्ताओं को ई-रूपी वाउचर जारी करने की अनुमति देकर और (बी) व्यक्तियों की ओर से ई-रूपी वाउचर जारी करने को सक्षम बनाकर ई-रूपी वाउचर के दायरे और पहुंच का विस्तार करने का प्रस्ताव है। ई-रुपी वाउचर के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए वाउचर को फिर से लोड करने, प्रमाणीकरण प्रक्रिया, जारी करने की सीमा आदि जैसे अन्य पहलुओं को भी संशोधित किया जाएगा। शीघ्र ही अलग से अनुदेश जारी किए जाएंगे।

7. भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) प्रक्रियाओं और सदस्यता मानदंड को सुव्यवस्थित करना

भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एक 'कभी भी कहीं भी' बिल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो अगस्त 2017 से परिचालित है। वर्तमान में, बीबीपीएस ने 20,500 से अधिक बिलर्स को शामिल किया है और हर महीने 9.8 करोड़ से अधिक लेनदेन प्रसंस्कृत करता है। बीबीपीएस के दायरे को दिसंबर 2022 में और अधिक विस्तारित किया गया था ताकि दोनों आवर्ती और गैर-आवर्ती प्रकृति के भुगतान और संग्रह की सभी श्रेणियों को शामिल किया जा सके, साथ ही साथ अंतर्गामी सीमा-पारीय (इन-बाउंड क्रॉस-बॉर्डर) बिल भुगतान की सुविधा प्रदान की जा सके। प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और अधिक से अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए, लेनदेन की प्रक्रिया प्रवाह और बीबीपीएस में परिचालन इकाइयों को शामिल करने के लिए सदस्यता मानदंड को सुव्यवस्थित किया जाएगा। जल्द ही संशोधित दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।

8. रुपे कार्ड जारी करने और स्वीकार करने का अंतरराष्ट्रीयकरण

भारत में बैंकों द्वारा जारी किए गए रूपे डेबिट और क्रेडिट कार्डों को अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय कार्ड योजनाओं के साथ सह-बैजिंग व्यवस्थाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति प्राप्त हुई है। विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए भुगतान विकल्पों का विस्तार करने हेतु, यह निर्णय लिया गया है कि विदेशों में एटीएम, पीओएस मशीनों और ऑनलाइन व्यापारियों के पास उपयोग के लिए भारत में बैंकों द्वारा रुपे प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड जारी करने की अनुमति दी जाए। इसके अलावा, रुपे डेबिट, क्रेडिट और प्रीपेड कार्ड विदेशी अधिकार-क्षेत्रों में जारी करने के लिए सक्षम होंगे, जिनका भारत सहित अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपयोग किया जा सकता है। ये उपाय विश्व स्तर पर रूपे कार्ड की पहुंच और स्वीकार्यता का विस्तार करेंगे। आवश्यक निर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

एमपीसी का कार्यवृत्त

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडबी के अंतर्गत गठित मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 43वीं बैठक 6 से 8 जून 2023 के दौरान आयोजित की गई थी।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ज़ेडएल के अंतर्गत; रिज़र्व बैंक ने 22 जून 2023 को अर्थात् मौद्रिक नीति समिति की बैठक के 14वें दिन बैठक की कार्यवाही का कार्यवृत्त प्रकाशित किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

II. विनियमन

समझौता निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालना (राइट-ऑफ)

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2023 को एक व्यापक विनियामकीय रूपरेखा जारी की, जिसमें सभी विनियमित संस्थाओं(आरई) को शामिल करते हुए समझौते के निपटान और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डालने (राइट ऑफ) को अभिशासित किया जाएगा। रूपरेखा के ये प्रावधान विवेकपूर्ण रूपरेखा के प्रावधानों अथवा दबावग्रस्त खातों के समाधान के लिए आरई पर लागू किसी भी अन्य दिशानिर्देशों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लागू होंगे। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

डिफॉल्ट लॉस गारंटी

रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2023 को विनियमित संस्थाओं (आरई) और ऋण सेवा प्रदाताओं (एलएसपी) के बीच या दो आरई के बीच डिफ़ॉल्ट लॉस गारंटी (डीएलजी), जिसे आमतौर पर फर्स्ट लॉस डिफ़ॉल्ट गारंटी (एफएलडीजी) के रूप में जाना जाता है, से जुड़ी व्यवस्था की अनुमति दी। इन दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाई गई डीएलजी व्यवस्था को 'सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण' के रूप में नहीं माना जाएगा और / या 'ऋण सहभागिता' के प्रावधानों को भी आकर्षित नहीं करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

उप गवर्नरों के पोर्टफोलियो

नाम	विभाग
डॉ एम. डी. पात्र	i) समन्वयन ii) कॉर्पोरेट कार्यनीति और बजट विभाग iii) आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग iv) सांख्यिकी और सूचना प्रबंध विभाग v) निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम vi) वित्तीय बाजार परिचालन विभाग vii) वित्तीय बाजार विनियमन विभाग viii) वित्तीय स्थिरता विभाग ix) अंतरराष्ट्रीय विभाग x) मौद्रिक नीति विभाग xi) सचिव विभाग
श्री एम. राजेश्वर राव	i) विनियमन विभाग ii) संचार विभाग iii) प्रवर्तन विभाग iv) विधि विभाग v) जोखिम निगरानी विभाग
श्री टी. रबी शंकर	i) केंद्रीय सुरक्षा कक्ष ii) मुद्रा प्रबंध विभाग iii) बाह्य निवेश और परिचालन विभाग iv) सरकारी और बैंक लेखा विभाग v) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग vi) भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग vii) फिनटेक विभाग viii) विदेशी मुद्रा विभाग ix) मानव संसाधन प्रबंध विभाग x) आंतरिक ऋण प्रबंध विभाग xi) सूचना का अधिकार (आरआईए) प्रभाग
श्री स्वामीनाथन जे	i) उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण विभाग ii) पर्यवेक्षण विभाग iii) वित्तीय समावेशन और विकास विभाग iv) निरीक्षण विभाग v) परिसर विभाग vi) राजभाषा विभाग

शाखा प्राधिकरण नीति

रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2023 को वित्तीय रूप से सक्षम शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) को परिचालन के स्वीकृत क्षेत्र में शाखा विस्तार के लिए सामान्य अनुमति प्रदान की। सामान्य अनुमति के अलावा, अन्य पात्र यूसीबी के लिए मौजूदा ढांचे के अनुसार पूर्व अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत शाखा विस्तार भी जारी रहेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

पीएसएल लक्ष्य

रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2023 को शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी) द्वारा कमजोर वर्गों को अग्रिम के लिए समग्र प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) लक्ष्य और उप-लक्ष्य को प्राप्त करने की समय-सीमा को दो वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निम्नानुसार बढ़ा दिया:

को समाप्त वित्त वर्ष	31 मार्च 2024	31 मार्च 2025	31 मार्च 2026
समग्र पीएसएल लक्ष्य @	एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 60%	एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 65%	एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 75%
कमजोर वर्गों को अग्रिम के लिए उप-लक्ष्य#	एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 11.50%	एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो, का 11.75%	एएनबीसी या सीईओबीएसई, जो भी अधिक हो का 12.00%

@ 31 मार्च 2023 के लिए लक्ष्य (60% पर) 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा।
# 31 मार्च 2023 (11.50% पर) के लिए निर्धारित उप-लक्ष्य 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगा।

विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

III. भुगतान और निपटान प्रणाली

ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (प्राप्य व्यापार छूट प्रणाली)

रिज़र्व बैंक ने 7 जून 2023 को बीमा कंपनियों को प्रतिभागियों के रूप में कार्य करने की अनुमति देकर व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (टीआरईडीएस) का विस्तार किया, जिसका उद्देश्य एमएसएमई के नकदी प्रवाह में सुधार करना था। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IV. विदेशी मुद्रा प्रबंधन

आईएफ़एससी का विप्रेषण

केंद्र सरकार द्वारा 23 मई 2022 को जारी राजपत्र अधिसूचना संख्या एसओ 2374 (ई) के मद्देनजर भारतीय रिज़र्व बैंक ने 22 जून 2023 को यह निदेश दिया कि प्राधिकृत व्यक्ति 'विदेश में अध्ययन', जैसा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (चालू खाता लेनदेन) नियमावली, 2000 की अनुसूची III में उल्लिखित है, के उद्देश्य से उक्त राजपत्र में उल्लिखित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए निवासी व्यक्तियों द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में स्थित विदेशी विश्वविद्यालयों या विदेशी संस्थानों को शुल्क के भुगतान हेतु विप्रेषणों की सुविधा प्रदान कर सकते हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

V. वित्तीय बाज़ार

एनडीडीसी

रिज़र्व बैंक ने 6 जून 2023 को ऑनशोर आईएनआर नॉन-डिलीवरेबल डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स (एनडीडीसी) बाजार को विकसित करने और निवासियों को अपने हेजिंग कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक डिजाइन करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) बैंकिंग इकाइयां (आईबीयू) परिचालित करने वाले एडी श्रेणी- I बैंकों को भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों को एनडीडीसी प्रदान करने की अनुमति दी। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

मांग, नोटिस और मियादी मुद्रा बाजार

रिज़र्व बैंक ने 8 जून 2023 को निदेश दिया कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (एससीबी) (लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों को छोड़कर) मांग और नोटिस मुद्रा बाज़ार में उधार लेने के लिए अपनी सीमा निर्धारित कर सकते हैं। मियादी मुद्रा बाजार उधार के मामले में, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, विनियमन विभाग द्वारा निर्धारित अंतर-बैंक देयताओं के लिए विवेकाधीन सीमाओं के भीतर मांग और नोटिस मुद्रा बाजार के माध्यम से उधार लेने के लिए आंतरिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमाएं लागू करेंगे। पूरी रिपोर्ट पढ़ने के लिए कृपया यहां क्लिक करें।

VI. वित्तीय समावेशन और विकास

वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड

श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने 5 जून 2023 को **अंतर्दृष्टि** (ANTARDRISHTI) नामक एक वित्तीय समावेशन डैशबोर्ड का शुभारंभ किया। यह डैशबोर्ड प्रासंगिक मापदंडों को शामिल करके वित्तीय समावेशन की प्रगति का आकलन और इसकी निगरानी करने के लिए आवश्यक अंतर्दृष्टि प्रदान करेगा। यह सुविधा देश भर में व्यापक स्तर पर वित्तीय वंचन की सीमा को मापने में भी सक्षम होगी ताकि ऐसे क्षेत्रों की कठिनाइयों को दूर किया जा सके। यह डैशबोर्ड, जो वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक में आंतरिक उपयोग के लिए उपलब्ध है, आगे चलकर बहु-हितधारक दृष्टिकोण के माध्यम से अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन की सुविधा प्रदान करेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VII. सांख्यिकी और सूचना

सीआईएमएस

भारतीय रिज़र्व बैंक ने 30 जून 2023 को भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली और आर्थिक आयोजना में अमूल्य योगदान देने वाले स्व. प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की स्मृति में 'राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस' समारोह के एक भाग के रूप में अपना 17वां वार्षिक सांख्यिकी दिवस सम्मेलन आयोजित किया। इस अवसर पर, श्री शक्तिकान्त दास, गवर्नर ने रिज़र्व बैंक की नेक्स्ट जनरेशन डेटा वेयरहाउस, अर्थात्, केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) का शुभारंभ किया। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

VIII. प्रकाशन

आरबीआई बुलेटिन

रिज़र्व बैंक ने 23 जून 2023 को अपने मासिक बुलेटिन का जून 2023 अंक जारी किया। बुलेटिन में 8 जून 2023 का मौद्रिक नीति वक्तव्य, सात भाषण, पांच लेख और वर्तमान सांख्यिकी शामिल हैं। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट

रिज़र्व बैंक ने 28 जून 2023 को वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) का 27वां अंक जारी किया, जो वित्तीय स्थिरता के जोखिमों और वित्तीय प्रणाली की आघात सहनीयता पर वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप-समिति के सामूहिक मूल्यांकन को दर्शाता है। विस्तार से पढ़ने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें।

IX. जारी आंकड़े

जून 2023 माह के दौरान रिज़र्व बैंक द्वारा जारी महत्वपूर्ण आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्रम सं	शीर्षक
1.	पूर्वानुमान सर्वेक्षण
2.	भारत का अंतर्राष्ट्रीय सेवा व्यापार
3.	म्यूचुअल फंड और आस्ति प्रबंधन कंपनियों की विदेशी देयता और आस्ति:2022-23
4.	भारतीय उद्योग में विदेशी सहयोग पर सर्वेक्षण का 14वाँ दौर
5.	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवा निर्यात: 2022-23

योगेश दयाल द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित। मोनेटरी एंड क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रीव्यू https://mcir.rbi.org.in पर उपलब्ध है।